संख्या-39/2023/001-880-24-1-2023-14 P-2005

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर वर्ष 2022-23 में ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–1947/अधि0नि0(वित्त)/निधि-।।/आर (डिस्ट)/04-05/97/2004, दिनांक 20 मार्च, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2049-01-200-03-32 के भारित मद में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 91,33,55,000/- (रूपये इक्यांनवे करोड़ तैंतीस लाख पचपन हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 21,28,73,456/- (रूपये इक्कीस करोड़ अठ्ठाईस लाख तिहत्तर हजार चार सौ छप्पन मात्र) में से वितरण निगमों द्वारा आर0ई0सी0, नई दिल्ली को ब्याज के भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि रूपये 21,27,71,855/- (रूपये इक्कीस करोड़ सत्ताईस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ पचपन मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष आहरित धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहॉ से धनराशि आहरित की गयी, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,27,71,855/- (रूपये इक्कीस करोड़ सत्ताईस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ पचपन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022 2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2049012000300 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज **मानक मद** 32 ब्याज/लाभांश (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-194-X-2022-23-दिनांक: 29 मार्च, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या- 39/2023/001-880(1)-24-1-2023-14 P-2005, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज- 211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्पलेक्स-7, लोधीरोड नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।